UPGK010035912024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
उपस्थितः तेज प्रताप तिवारी (एच.जे.एस.)

<u>प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–33/2024</u>

बिजली पुत्र स्व0 सुखदेव,
निवासी–मौजा मुहल्ला–123/05 एन.एच. 28 दाउदपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, पोस्ट–न्यू शिवपुरी कालोनी, जनपद गोरखपुर।

..... अपीलार्थी/वादी

<u>बनाम</u>

1– रघुराई पुत्र स्व0 सामा,
2– रामनयन पुत्र स्व0 सामा,
3– शोभराज पुत्र स्व0 सामा,
4– महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सामा,
5– परशुराम पुत्र गंगा
निवासीगण–मौजा दाउदपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, पोस्ट न्यू शिवपुरी कालोनी, जनपद गोरखपुर।

.....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से मूलवाद सं0 881/2021 बिजली बनाम रघुराई आदि में अपीलार्थी/वादी बिजली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 7ग पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.04.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र 7ग निरस्त किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील का संक्षिप्त कथन यह है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद सं0 881/2021 बिजली बनाम रघुराई आदि में अपीलार्थी/वादी बिजली द्वारा प्रार्थना–पत्र 7ग अन्तर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 एवं धारा–151 दीवानी प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथ–पत्र 8ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण मुहल्ला दाउदपुर तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जनपद गोरखपुर के मूल निवासी है और पूर्वजों के जमाने से प्रश्नगत सम्पत्ति आराजी सं0 200/2 वर्णित अर्जीदावा पर वरासतन काबिज दखील चले आ रहे हैं। वादी ने बराह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित अर्जीदावा का बटवारा सरकारी अभिलेख में करवा लिया जाये ताकि भविष्य में कोई विवाद शेष न रहे, इस पर वे सुनवा नहीं हुए। वादी ने प्रतिवादीगण से बराह निवेदन किया कि जब तक बटवारा न हो जाये तब तक कोई निर्माण कार्य न करें, इस पर प्रतिवादीगण सुनवा न होकर आमादा फौजदारी हो रहे

हैं और यह भी धमकी दे रहे हैं कि ''बटवारा को मैं नहीं मानता हूॅ और निर्माण कार्य करूॅगा।'' वादी ने अपना दावा प्राईमाफेसी केस सिद्ध कर लिया है और सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी/अपीलार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त आधारों पर वादी/अपीलार्थी द्वारा यह याचना की गई कि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को बजरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मना किया जाये

3— विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना—पत्र 7ग के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

4— विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 02.04.2024 से वादी/अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र 7ग निरस्त कर दिया। अपीलार्थी/वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 02.04.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील योजित की गयी है।

5— अपीलार्थी/वादी के द्वारा अपील के ज्ञापन में मुख्य रूप से यह आधार उल्लिखित किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के विरूद्ध है। अपीलार्थी प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वामी है जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया, परन्तु सरसरी तौर पर आदेश करके प्रार्थना—पत्र खारिज किया है। विवादित सम्पत्ति पर मकान है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल साक्ष्यों को नजरअंदाज करके भारी भूल किया है। अपीलार्थी के प्रार्थना—पत्र पर विचारण न्यायालय ने अमीन नियुक्त करके रिपोर्ट व आख्या मॅगवाया था, लेकिन आदेश पारित करते समय अमीन रिपोर्ट व नक्शा को नजरअदांज किया गया है। दावा आराजी सं0 200/2 से दाखिल किया गया और प्रश्नगत सम्पत्ति की पहचान बखूबी है विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है फिर भी गलत विधि व्यवस्था का आधार लेकर खारिज करके भारी भूल किया है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 02.04.2024 निरस्त करके प्रार्थना—पत्र 7ग स्वीकार किया जाये।

6— प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील की नोटिस प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रेषित किया गया लेकिन प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रत्यर्थीगण पर जरिये प्रकाशन तामीला पर्याप्त माना गया, बावजूद इसके प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7— अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

8— प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील के निस्तारण हेतु मुख्य अवधार्य बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी/वादी वाद—पत्र में किये अभिकथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में विवादित सम्पत्ति आराजी संख्या—200/2 स्थित मौजा दाउदपुर तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जनपद गोरखपुर वर्णित अर्जीदावा के बावत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी/वादी को अपने पक्ष में

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु दर्शित करना होता है।

9— पत्रावली के परिशीलन से यह विदित हो रहा है कि अपीलार्थी/वादी बिजली द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के सम्मुख मूलवाद सं0 881/2021 इस आशय का दाखिल किया गया था कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति अन्तर्गत अर्जीदावा पर वरासतन काबिज दखील चले आ रहे हैं। पक्षकार मुकदमा का जब परिवार बढ़ने लगा तब पक्षकार मुकदमा ने खाना—पीना अलग कर लिया और सुविधापूर्वक रह रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित अर्जीदावा का बटवारा सरकारी अभिलेख में करवा लिया जाये, लेकिन प्रतिवादीगण सुनवा नहीं हुए। वादी ने बटवारे का एक दावा अन्तर्गत धारा—116 राजस्व संहिता अधिनियम 2006 के अधीन न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर गोरखपुर में दाखिल किया जो जेरे कार्यवाही है। उक्त बटवारे के मुकदमें की जानकारी प्रतिवादीगण को है फिर भी बिना बटवारा के प्रश्नगत आराजी में निर्माण करना चाहते हैं, जिसके लिये भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री एकत्र कर लिया है। दिनांक 06.04.2021 को प्रतिवादीगण भवन निर्माण कराने जा रहे थे और वादी के मना करने पर आमादा फौजदारी होकर शीघ्र निर्माण कराने की धमकी दिये। वाद—पत्र के अग्रेतर कथनानुसार वादी ने याचना की है कि प्रतिवादीगण को बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा मना किया जाये कि प्रश्नगत आराजी सं0 200/2 बावत मौजा दाउदपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर का जब तक बटवारा न हो जाये तब तक निर्माण कार्य न करें। उक्त मूलवाद के अन्तर्गत अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना—पत्र 7ग दाखिल कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध तदनुरूप अस्थाई निषेधाज्ञा के बावत निवेदन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सुनवाई करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 02.04.2024 पारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना—पत्र 7ग निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 02.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील संस्थित की गई है।

10— वाद—पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति अपीलार्थी/वादी एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वजों की है जिस पर उभयपक्ष वरासतन संयुक्त रूप से काबिज दखील चले आ रहे हैं। वाद—पत्र के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उभयपक्ष के मध्य उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति का बटवारा नहीं हुआ है। वाद—पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से यह किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं हो पा रहा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित वाद—पत्र में किस तरफ एवं कितने क्षेत्रफल में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण अलग—अलग रह रहे हैं। मूलवाद की पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी कागज संख्या—14ग व खसरा संख्या—18ग के अवलोकन से यह विदित होता है कि उभयपक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति के सह स्वामी व सक्रमणीय भूमिधर है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति एक मिनजुमला सम्पत्ति है जिसकी पहचान नहीं की जा सकती तथा प्रश्नगत सम्पत्ति पर उभयपक्ष का कब्जा भी पहचान योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अमीन आख्या व नक्शा आन स्केल मय फील्ड बुक

क्रमशः कागज संख्या–19ग व 20ग उपलब्ध है जिसमें अदालत अमीन द्वारा भी प्रश्नगत सम्पत्ति पर उभयपक्ष के अलग–अलग काबिज दखील होने की स्थिति को दर्शित नहीं किया गया है।

11– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से एवं वाद–पत्र के कथनानुसार अपीलार्थी/वादी एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्टया प्रश्नगत सम्पत्ति जो मिनजुमला है एवं पहचान योग्य नहीं है, पर काबिज दखील होना विदित होता है एवं अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद केवल इस अनुतोष के लिये दाखिल किया गया है कि प्रतिवादीगण जब तक प्रश्नगत सम्पत्ति का बटवारा न हो जाये तब तक प्रश्नगत सम्पत्ति पर कोई निर्माण कार्य न करें। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त सम्पत्ति पर जब तक सम्पत्ति का बटवारा न हो जाये तब तक संयुक्त सम्पत्ति पर सभी पक्षकारों का हिस्सा समान है। ऐसी स्थिति में यद्यपि प्रश्नगत सम्पत्ति पर उभयपक्ष का काबिज दखील होना प्रथम दृष्टया दर्शित हो रहा है लेकिन मूलवाद की पत्रावली पर प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने लेकिन अनेक अवसर प्रार्थना–पत्र 7ग के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने करने हेतु दिये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 7ग के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई और न ही प्रार्थना–पत्र 7ग पर सुनवाई के समय ही प्रतिवादीगण उपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थी/वादी के पक्ष में पाया जाना दर्शित हो रहा है।

12– उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 7ग स्वीकार होने योग्य है एवं अपीलार्थी/वादी प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र 7ग खारिज करके अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। तद्नसार प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील स्वीकार की जाती है एवं मूलवाद सं0 881/2021 बिजली बनाम रघुराई आदि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.04.2024 अपास्त किया जाता है। पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे वाद–पत्र के अंत में वर्णित विवादित सम्पत्ति अंदर आराजी सं0 200/2 बावत मौजा दाउदपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में मूलवाद सं0 881/2021 के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखेगें। उभयपक्ष दिनांक 04.12.2024 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक : 06.11.2024

(तेज प्रताप तिवारी)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code- UP6524

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करने के बाद खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 06.11.2024

(तेज प्रताप तिवारी)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code- UP6524